

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड,
87-राजपुर रोड, देहरादून

पत्रांक: नि० 2339 / 3-5 (औषधीय पौध संरक्षण)

दिनांक: देहरादून, 11 जून, 2019

सेवा में,

समस्त सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में वन विभाग की राज्य सैक्टर "2406-01-102-06-00-औषधीय पौधों का संरक्षण, संवर्द्धन" के मानक मद 29-अनुरक्षण के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के सापेक्ष प्रभागवार लक्ष्यों का आवंटन।

संदर्भ :-

वित्त नियंत्रक/इस कार्यालय का पत्रांक नि० 2302/3-5 (औषधीय पौध संरक्षण)
दिनांक 03.06.2019

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिससे वित्तीय वर्ष 2019-20 में वन विभाग के अनुदान सं०-27 की राज्य सैक्टर योजना "2406-01-102-06-00-औषधीय पौधों का संरक्षण, संवर्द्धन" के अन्तर्गत स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष मानक मद 29-अनुरक्षण में आवंटित धनराशि के सापेक्ष लक्ष्यों का आवंटन प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के अनुमोदन उपरान्त संलग्न कर प्रेषित है।

उक्त आवंटित लक्ष्यों के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश निम्नानुसार है जिनका अक्षरशः पालन किया जाये:-

1. संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
2. कार्यों के सम्पादन में समय-समय पर जारी समस्त संगत शासनादेशों/वित्तीय नियमों/ "प्रॉक्योरमेंट नियमावली, 2017" का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. योजनान्तर्गत आवंटित/अवमुक्त की गयी धनराशि की सीमा तक ही कार्य कराये जाने होंगे। अतिरिक्त धनराशि प्राप्ति की प्रत्याशा में कोई कार्य न कराये जायें।
4. अवमुक्त धनराशि का उपयोग संलग्न आवंटित लक्ष्यों/कार्यों की प्राप्ति हेतु ही किया जाये।
5. योजनाओं सम्बन्धी सभी मासिक प्रगति रिपोर्टों में आवंटित लक्ष्यों के अनुसार ही लक्ष्य दर्शाये जाय और उसी के आधार पर लक्ष्य प्राप्ति की समीक्षा की जाय।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय,



(डॉ० धनंजय मोहन)

प्रमुख वन संरक्षक,

नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन।


11/06

संख्या: नि० 2339 / 3-5(औषधीय पौध संरक्षण) तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, उत्तराखण्ड।
2. समस्त सम्बन्धित वन संरक्षक/निदेशक, वन विभाग, उत्तराखण्ड।

संलग्न- यथोपरि।



(डॉ० धनंजय मोहन)

प्रमुख वन संरक्षक,

नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन।

11/06

वित्तीय वर्ष 2019-20 में वन विभाग के अनुदान सं०-27 की राज्य सैक्टर योजना "2406-01-102-06-औषधीय पौधों का संरक्षण, संवर्द्धन" के मानक मद 29-अनुरक्षण में आवंटित धनराशि के सापेक्ष भौतिक-वित्तीय लक्ष्य।

(धनराशि- ₹ हजार में)

क्र० सं०	प्रभाग का नाम	मानक मद 29-अनुरक्षण		
		कार्य विवरण	भौतिक	वित्तीय
1	2	20	21	23
1	प्र.व.भू.सं. रामनगर	वनीकरण अनुरक्षण-हे०	15	144
2	प्र.व.भू.सं.रानीखेत	वनीकरण अनुरक्षण-हे०	15	132
3	प्र.व.अल्मोड़ा	वनीकरण अनुरक्षण-हे०	10	93
4	प्र.व.बागेश्वर	वनीकरण अनुरक्षण-हे०	15	105
5	प्र.व.पिथौरागढ़	हर्बल गार्डन का रखरखाव	1	100
6	प्र.व.देहरादून	हर्बल गार्डन का रखरखाव-सं०	1	324
7	प्र.व.नरेन्द्रनगर	वनीकरण अनुरक्षण-हे०	25	250
		पूर्व स्थापित हर्बल गार्डन में उपलब्ध पौधों का अनुरक्षण	1	450
8	प्र.व.चकराता	पौघालय अनुरक्षण-हे०	LS	100
9	प्र.व.टिहरी डेम- I	वनीकरण अनुरक्षण-हे०	10	100
10	प्र.व.भू.सं. लेन्सडाउन	वनीकरण अनुरक्षण-हे०	15	115
11	प्र.व.अ.केदारनाथ व० जीव	हर्बल गार्डन का रखरखाव-सं०	1	50
12	प्र.व.भू.सं.अलकनन्दा	वनीकरण अनुरक्षण-हे०	10	87
13	प्र.व.उत्तरकाशी	वनीकरण अनुरक्षण-हे०	15	150
14	प्र.व.टिहरी डेम- II	पुराने वनीकरण अनुरक्षण-हे०	10	100
15	प्र.व.भू.सं.उत्तरकाशी	पुराने वनीकरण अनुरक्षण-हे०	10	100
16	प्र०व०अपर यमुना	पुराने वनीकरण अनुरक्षण-हे०	10	100
	कुल योग			2500



(डॉ० घनंजय मोहन)

प्रमुख वन संरक्षक,

नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन।

